\ |

सं0–311/एक–11–2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2020

विषयः **कोविड–19 की समस्या के दृष्टिगत दैनिक रूप से कार्य करने वाले मजदूरों के भरण–पोषण हेतु सहायता के संबंध में।**

महोदय,

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड–19 के कारण प्रभावित होने वाली विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के कारण दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों के भरण–पोषण की उत्पन्न होने वाली समस्या के दृष्टिगत खाद्य एवं रसद विभाग के शासनादेश संख्या–616/29–6–2020–345सा/12–टीसी, दिनांक 24–03–2020 द्वारा विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को 01 माह का निशुल्क राशन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्था के कम में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त माह मई, 2020 में नियमित खाद्यान्न वितरण के दौरान उक्त शासनादेश दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित श्रेणियों के राशन कार्ड धारकों को माह मई, 2020 में निशुल्क खाद्यान्न वितरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

-2-

Scanned with CamScanner

संख्याः–311(1)/एक–11–2020, तददिनॉक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
10. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
12. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
14. राजस्व अनुभाग–10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

Scanned with CamScanner